



!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक...138...../2017

दिनांक 29 / 09 / 2017

विषय :-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग रायगढ़ के निर्मित सामुदायिक भवनों तथा आवासीय कॉलोनियों का नामकरण बाबत।


--- 000 ---

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों सह व्यवसायिक परिसरों तथा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन निर्मित तथा निर्माणाधीन कॉलोनियों एवं सामुदायिक भवनों का नामकरण करने हेतु उन क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों द्वारा तथा कार्यपालन अभियंताओं एवं उपायुक्त द्वारा महापुरुषों एवं समाज सेविकों के नाम पर मण्डल कॉलोनी तथा सामुदायिक भवनों के नामकरण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है। अतः कॉलोनियों के नामकरण के प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर विचार विमर्श करने हेतु मण्डल द्वारा निम्नानुसार समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है।

1. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
2. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
3. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
4. उपायुक्त, वृत्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागीय कार्यालयों से संबंधित।
5. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागीय कार्यालयों से संबंधित।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 54वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 के एजेण्डा क्रमांक 45 के पारित संकल्प क्रमांक 1595/45/54/08/2017 द्वारा संचालक मण्डल के प्रस्ताव पर गहन विचारोपरांत सर्वसम्मति से, मण्डल के कॉलोनी तथा सामुदायिक भवनों के नामकरण हेतु संबंधित क्षेत्र के प्रशासन/कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर समिति के अनुशंसा पश्चात् संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सामुदायिक भवन, आवासीय कॉलोनी का नामकरण करने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आगामी आवश्यक निर्णय कार्यवाही हेतु आयुक्त, को अधिकृत किया जाता है।


(आदेशानुसार)


.. 20.09.17

--:2--

पृ.क्र.2427/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-399/17 नया रायपुर, दिनांक 27 09/2017
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, क्रमांक 01(I)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/ महासमुन्द्र/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/ बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


20-09-17
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर